

बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय अंतर्गत **कनीय लिपिक** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु **विज्ञापन संख्या-02/2024** का प्रकाशन बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे सभा सचिवालय के वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है :-

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) तथा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	29.01.2024 को 11:00 बजे पूर्वा० से
2.	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	15.02.2024
3.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	17.02.2024

नोट:-

- उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय के वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन करने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली-भांति अध्ययन कर लेंगे।
- उपर्युक्त पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायगा, जिसे बिहार विधान सभा के वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

संजय कुमार

अवर सचिव

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

विज्ञापन सं०-02 / 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय में कनीय लिपिक पद की रिक्तियों पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

वेतन स्तर-2 (Rs. 19,900-63,200 + नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)

ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय – 29.01.2024 (11:00 बजे पूर्वाह्न से)

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 15.02.2024

परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि – 17.02.2024

- उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक निर्देश विज्ञापन के साथ संलग्न है।
- उक्त पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान सभा के वेबसाईट पर किया जायेगा।
- (क) अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण:-

क्रम सं.	कोटि	पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	02	00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00
3.	अनुसूचित जाति	05	02
4.	अनुसूचित जनजाति	00	00
5.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	07	02
6.	पिछड़ा वर्ग	04	01
	योग:-	19	05

नोट-विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

- अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- शैक्षणिक योग्यता:-**ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट परिषद्/बोर्ड से किसी विषय में इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आरक्षण:-**
 - आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।
 - आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
 - सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं०-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-
 - जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

B. स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-

- a) जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
- b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

- iv. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- v. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-2342, दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत शैतिज आरक्षण देय होगा।
- vi. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. उम्र सीमा-

- i. न्यूनतम आयु-दिनांक 01.08.2023 को न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष।
- ii. अधिकतम आयु-
 - सामान्य (अनारक्षित) पुरुष-37 (सैंतीस) वर्ष
 - सामान्य (अनारक्षित) महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 (चालीस) वर्ष
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 (बयालीस) वर्ष।
- iii. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।
- iv. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- v. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष

तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

vi. अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

8. परीक्षा की पद्धति :- उपर्युक्त पद के लिए दो चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) ओ०एम०आर० (OMR) उत्तर पत्रक आधारित आयोजित होगी, जिसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी।

(i) प्रारम्भिक परीक्षा :- इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे।

प्रारम्भिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। साथ ही प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। प्रारम्भिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :-

(क) सामान्य अध्ययन – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित – प्रश्नों की संख्या 20 होगी।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच एवं तार्किक विचार – प्रश्नों की संख्या 30 होगी।

इस परीक्षा के अधोन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती टंकण जाँच परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

वैसे अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर सभा सचिवालय का निर्णय अन्तिम होगा।

अधिक आवेदन प्राप्त होने पर यह परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी। समानीकरण की प्रक्रिया की जानकारी [FAQ \(Frequently Asked Questions About Equating of Scores on Multiple Forms\)](#) के अन्तर्गत देखी जा सकती है।

प्रारम्भिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :-

(क) सामान्य अध्ययन :- इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को उसके आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) सम-सामयिक विषय :- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम-सामयिक घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल-खिलाड़ी।

- (ii) भारत और उसके पड़ोसी देश :- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास/संस्कृति/भूगोल/आर्थिक परिदृश्य/कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आन्दोलन में बिहार का योगदान।
- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित :- इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-
- (i) सामान्य विज्ञान :- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान।
- (ii) गणित :- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।
- (ग) मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार (Mental Ability & Logical Reasoning) :- इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

टंकण जाँच परीक्षा :-

प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन टंकण जाँच परीक्षा हेतु किया जायेगा।

हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 30-30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का०-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जाँच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य है। उक्त टंकण जाँच परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी।

9. **मेधा सूची :-** उपर्युक्त कोटि के आरक्षणवार रिक्तियों को भरने के निमित्त प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों में से टंकण जाँच परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। *इस प्रतियोगिता परीक्षा में किसी एक पद पर दो अभ्यर्थियों में से एक के चयन की स्थिति उत्पन्न होने पर उस पद के लिए निर्धारित वांछित योग्यता को आधार माना जाएगा। इन पदों के लिए निर्धारित वांछित योग्यता की जानकारी बिहार विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में संलग्न अनुसूची के अवलोकन से प्राप्त की जा सकती है।*
10. **परीक्षा शुल्क:-**बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि/वर्ग के महिला/पुरुष हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 600/- (छः सौ) रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 150/- (एक सौ पचास) रुपये है।
11. **ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश:-**

- (1) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय Net Banking/Credit/Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
- नोट-**वैसे सभी कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें अनर्हित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) तथा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	29.01.2024 को 11:00 बजे पूर्वा० से
2.	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	15.02.2024
3.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	17.02.2024

- (2) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन करने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभा सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (3) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित करेंगे।
- (4) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (5) अभ्यर्थी अपना शैक्षणिक योग्यता तथा आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, हाल का अपना एक फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया इमेज सुस्पष्ट है।
- (6) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या सभा सचिवालय द्वारा माँगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (7) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान, Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (8) ऑनलाईन आवेदन करने के लिए नीचे बॉक्स में वर्णित "Apply Online" पर क्लिक करें।

APPLY ONLINE

महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (1) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। सभा सचिवालय द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (2) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Bar Code एवं Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Bar Code एवं Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

- (3) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र नियुक्ति की तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु सभा सचिवालय स्वतंत्र रहेगा।
- (4) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन करते समय उपलब्ध हैं।
- (5) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ सभा सचिवालय के वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- (6) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत निर्देश सभा सचिवालय के वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (7) आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (8) किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा।

संजय कुमार

अवर सचिव

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।